भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0- 184B/2017-18

खिरोद चन्द्र महतो **बनाम** पुष्पा महतो

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
18.07-18	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, गम्हरिया के पत्रांक 951 दिनांक 18.05.2018 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 184B/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता खिरोद चन्द्र महतो, पिता स्व0 राम बिहारी महतो, ग्राम–छोटा गम्हरिया, थाना–गम्हरिया जिला– सरायकेला–खरसावां ने चिकित्सा खर्च हेतु क्रेता पुष्पा महतो, पिता शम्भू महतो, ग्राम–जसपुर, थाना–गम्हरिया, जिला–सरायकेला–खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
छोटा गम्हरिया	67	93	1013	3.86डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता पिता के नाम से पंजी–II दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। जिसमें से 3.86डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.97.52 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'कुर्मी', जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 3.86डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

18/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner